न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 1071/दावा/2016
दायरा दि0 07/11/2016

उनवान

1. देवलाल पुत्र बालया जाति चमार निवासी खेरखेड़ा तह0 खानपुर जिला झालावाड
2. प्रभूलाल पुत्र कंवरलाल जाति चमार निवासी खेरखेड़ा ह0 खानपुर जिला झालावाड
3. मथुरालाल पुत्र कंवरलाल जाति चमार निवासी खेरखेड़ा ह0 खानपुर जिला झालावाड
4. हेमराज पुत्र कंवरलाल जाति चमार निवासी खेरखेड़ा ह0 खानपुर जिला झालावाड
5. कंवरबाई बेवा कंवरलाल जाति चमार निवासी खेरखेड़ा ह0 खानपुर जिला झालावाड
6. कालूलाल पुत्र गजानंन्द जाति चमार निवासी खेरखेड़ा ह0 खानपुर जिला झालावाड
7. रामरतन पुत्र गजानंन्द जाति चमार निवासी खेरखेड़ा ह0 खानपुर जिला झालावाड
8. तुलसाबाई बेवा गजानंन्द जाति चमार निवासी खेरखेड़ा ह0 खानपुर जिला झालावाड

— वादीगण

बनाम्

1. कल्याणसिंह पुत्र नंन्दसिंह जाति राजपूत नि0 भीलखेड़ा हाल मउवोरदा तह0 खानपुर
2. भंवरसिंह पिता नंन्दसिंह जाति राजपूत नि0 भीलखेड़ा हाल मउवोरदा तह0 खानपुर
3. कंवरबाई पुत्री नंन्दसिंह जाति राजपूत नि0 भीलखेड़ा हाल मउवोरदा तह0 खानपुर
4. अजबबाई पुत्री नंन्दसिंह जाति राजपूत नि0 भीलखेड़ा हाल मउवोरदा तह0 खानपुर
5. श्रंगारसिंह बेवा नंन्दसिंह जाति राजपूत नि0 भीलखेड़ा हाल मउवोरदा तह0 खानपुर
6. किशोरसिंह पुत्र बुद्धसिंह जाति राजपूत नि0 भीलखेड़ा हाल मउवोरदा तह0 खानपुर
7. रघुनाथसिंह पुत्र बुद्धसिंह जाति राजपूत नि0 भीलखेड़ा हाल मउवोरदा तह0 खानपुर
8. गोविंदसिंह पुत्र बुद्धसिंह जाति राजपूत नि0 भीलखेड़ा हाल मउवोरदा तह0 खानपुर
9. रामचन्द्र पुत्र विशनलाल जाति गुर्जर निवासी भीलखेड़ा तह0 खानपुर
10. कमलाबाई पुत्री विशनलाल जाति गुर्जर निवासी भीलखेड़ा तह0 खानपुर
11. रामपाल पुत्र देवलाल जाति गुर्जर निवासी भीलखेड़ा तह0 खानपुर
12. जगन्नाथ पुत्र देवलाल जाति गुर्जर निवासी भीलखेड़ा तह0 खानपुर
13. रामभरोसी पुत्र देवलाल जाति गुर्जर निवासी भीलखेड़ा तह0 खानपुर
14. गोरधनीबाई पत्नि देवलाल जाति गुर्जर निवासी भीलखेड़ा तह0 खानपुर
15. भूमि अवाप्ति अधिकारी परवन सिंचाई परियोजना अकावद सिंचाई विभाग खण्डिया रोड़ झालावाड़
16. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील खानपुर जिला झालावाड़

— प्रतिवादीगण

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955</u>

उपस्थित :– श्री गिरधारीलाल नागर अधिवक्ता – वादी

<u>निर्णय</u>

दिनांक 25/04/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम भीलखेड़ा की जमाबंदी सं0 2015–18 की विभिन्न खसरा नम्बरान की 39.05 बीघा आराजी रघुनाथसिंह, दलेलसिंह, नंन्दसिंह, गोविंदसिंह, चांदसिंह जाति राजपूत निवासी भीलखेड़ा के खाते की थी। इनका ग्राम भीलखेड़ा में एक

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

ही खाता था। इसमें से ख0नं0 758/150 की 1.13 बीघा, ख0नं0 759/150 की 3.03 बीघा, ख0नं0 807/150 की 0.19 बीघा कुल 3 किता की 5.15 बीघा आराजी का 460/–रू0 प्रतिफल प्राप्त करके बालया पुत्र शंकर जाति चमार निवासी खेरखेड़ा को दिनांक 14.04.1966 को जरिये रजिस्टर्ड बैनामा से बैचान कर दी थी, तब से इस आराजी पर बालया व उसकी मृत्यु के पश्चात से आज तक वादीगण का बगैर किसी रूकावट के ऐलानिया कब्जा चला आ रहा है। उक्त बैचानकर्ताओं के विक्रय शुद्धा आराजी का मूल खसरा नं0 150 है और उसी मूल खसरा नम्बर के मिन खसरा नम्बरान का बैचान वादीगण को किया गया है। उक्त साविक नं0 150 का वर्तमान ख0नं0 36 है। वक्त सेटलमेंट, सेटलमेंट के कर्मचारियों ने बालया को सुने बगैर ही मूल खसरा नं0 150 के मिन नं0 758/150, 759/150, 807/150 का नया खसरा नं0 36 बना दिया और आराजी को पुनः नदसिंह, दलेलसिंह, रघुनाथसिंह व गोविंदसिंह के खाते दर्ज कर दी गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध था। यह कार्यवाही बालया के काश्तकारी अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। सेटलमेंट की यह कार्यवाही शून्य प्रभावी है, जिसका कोई आधार नहीं है। विकेता नंदसिंह का स्वर्गवास हो चुका है उसके वारीसान प्रति0 1 लगा0 5 है। विकेता दलेलसिंह की मृत्यु हो चुकी है, उसके खाते की आराजी प्रति0नं0 1 लगा0 5 व 7 के खाते दर्ज की गई है। खरीददार बालया की भी मृत्यु हो चुकी है उसके वासीसान वादीगण 1 लगा0 8 हैं, जिनकी ओर से यह वाद पेश किया गया है। वर्तमान में आराजी में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज होने से यह वादीगण को आराजी से बेदखल करने एवं आराजी का बैचान करने पर आमादा हैं। ऐसे में प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त आराजी परवन वृहद सिंचाई परियोजना की डूब क्षैत्र में आने से अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है। खाते में प्रतिवादीगण का नाम होने से मुआवजा रेकार्ड के आधार पर वही प्राप्त करेंगे, जबकि यह आराजी हमने जर्ये रजिस्ट्री बैनामा से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है और हम कानूनी रूप से आराजी के खातेदार टीनेंट हो गये हैं। ऐसे में हम खरीद शुद्धा आराजी का मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं। यदि प्रतिवादीगण मुआवजा राशि प्राप्त करने में कामयाब हो गये तो हमें अपूरणीय क्षति होगी। ऐसे में प्रतिवादीगण को मुआवजा राशि प्राप्त करने से रोकने हेतू जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण के पक्ष में मय खर्चा प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री फरमाया जावे कि भीलखेड़ा की ख0नं0 36 की 6.16 बीघा में से 5.015 बीघा आराजी वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे और प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजी को कहीं रहन, बैचान, हिब्बा आदि नहीं करें और न ही अवाप्त होने पर मुआवजा राशि न तो प्राप्त करने और न ही किसी व्यक्ति को उक्त राशि का भुगतान करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0नं0 1 लगा0 4 व 8 की ओर से श्री मुरलीमनोहर गुप्ता एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाबदावा पेश करने का अवसर चाहा गया तथा प्रति0नं0 5, 6, 7, 9 लगा0 14 के बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। अधिवक्ता प्रतिवादी को जवाब पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया किन्तु इनके द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी के निवेदन पर न्यायहित में दिनांक 17.01.18 एवं 08.02.18 को कॉस्ट पर भी जवाबदावा पेश करने का अवसर दिया गया किन्तु इनके द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया। दिनांक 12.04.2018 को प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। साथ ही वादीगण को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया गया।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य में वादी देवलाल, गवाहान प्रभूलाल, तुलसाबाई, मथुरालाल के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज Exp1 लगा0 Exp 7 प्रदर्श कराये। अधिवक्ता वादी के निवेदन करने पर साक्ष्य वादी बंद की जाकर बहस अधिवक्ता वादी सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि खातेदार नदसिंह, दलेलसिंह, रघुनाथसिंह व गोविंदसिंह ने ग्राम भीलखेड़ा की साविक ख0नं0 758/150, ख0नं0 759/150, ख0नं0 807/150 की कुल 5.15 बीघा जमीन

उपखण्ड अधिकारी
झालरापाटन जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

460/–रू0 में बालया को दिनांक 14.04.1966 को जरिये रजिस्ट्री बैचान की थी, तब से इस पर बालया व उनकी मृत्यु के याद से वादीगण का ऐलानिया कब्जा चला आ रहा है। आराजी का मूल नं0 150 है और इसके मिन नम्बरान का बैचान वादीगण को किया गया है। साबिक ख0 नं0 150 का नया ख0नं0 36 बना है। सेटलमेंट के कर्मचारियों ने कानून के खिलाफ जाकर यह आराजी वापस मूल खातेदारों के खाते दर्ज कर दी। सेटलमेंट की यह कार्यवाही शून्य प्रभावी है। मृतक बालया के वासीसान वादीगण 1 लगा0 8 हैं। जिनकी ओर से यह वाद पेश किया गया है। नदसिंह, दलेलसिंह, रघुनाथसिंह व गोविंदसिंह फौत हो चुके हैं, इनके वारीसान प्रतिवादीगण 1 लगा0 14 हैं। आराजी वर्तमान में प्रतिवादीगण के खाते दर्ज होने से यह इस आराजी से हमे बेदखल करने एवं बैचान करने पर आमादा हैं। ऐसे में इनको जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना आवश्यक है। हमने रेकार्ड पेश किया है तथा गवाहान के बयान कराये हैं, जिनसे हमारा दावा साबित है। अतः हमारा दावा डिकी किया जाकर वादग्रस्त आराजी का हमें खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जावे कि वह यादग्रस्त आराजी को कहीं रहन, बैचान, हिब्बा आदि नहीं करें।

हमने पत्रावली का गहनता पूर्वक अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। Exp1 ग्राम भीलखेड़ा की नकल जमाबंदी सं0 2068–71 की खतौनी सं0 10 है, जिसमें ख0नं0 36 रकबा 6.16 बीघा आराजी प्रति0नं0 1 लगा0 8 के खाते दर्ज है। Exp2 ग्राम भीलखेड़ा की नकल जमाबंदी सं0 2072–76 की खतौनी सं0 10 है, जिसमें ख0नं0 36 रकबा 6.16 बीघा आराजी प्रति0नं0 1 लगा0 8 के खाते दर्ज है। Exp3 ग्राम भीलखेड़ा की नकल जमाबंदी सं0 2064–67 की खतौनी सं0 36 है, जिसमें ख0नं0 36 रकबा 6.16 बीघा आराजी प्रति0नं0 1 लगा0 8 के खाते दर्ज है। Exp4 ग्राम भीलखेड़ा की नकल जमाबंदी सं0 2035–38 की खतौनी सं0 46 है, जिसमें ख0नं0 36 रकबा 6.16 बीघा आराजी दलेलसिंह, नंदसिंह पिता किशनसिंह हि0 2/3, किशोरसिंह, रघुनाथसिंह, गोविंदसिंह, चांदसिंह पिता बुद्धसिंह हि0 1/3 के अर्थात प्रति0नं0 1 लगा0 8 के खाते दर्ज है। Exp5 मिलान खसरा ग्राम भीलखेड़ा सं0 2021 है, जिसके अनुसार साबिक ख0नं0 758/150, 865/150 का नया ख0नं0 36 रकबा 6.16 बीघा बना है। Exp6 ग्राम भीलखेड़ा की नकल जमाबंदी सं0 2015–18 की खतौनी सं0 27 है, जिसमें ख0नं0 758/150 रकबा 1.13 बीघा, ख0नं0 759/150 रकबा 3.03 बीघा, ख0नं0 807/150 रकबा 0.19 बीघा आराजी प्रति0नं0 1 लगा0 8 के पूर्वज दलेलसिंह हि0 1/4, नंदसिंह हि0 1/4, रूघनाथसिंह हि0 1/4 बेटे किशोरसिंह व गोविंदसिंह, चांदसिंह पुत्र बुधसिंह हि0 1/4 के खाते दर्ज है। Exp7 असल रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 14.04.1966 है, जिससे खातेदार दलेलसिंह, नंदसिंह, रघुनाथसिंह पिसरान किशोरसिंह, गोविंदसिंह वल्द बुधसिंह जाति राजपूत निवासी सेवनी ने अपने खाते की ग्राम भीलखेड़ा की ख0नं0 758/150 रकबा 1.13 बीघा, ख0नं0 759/150 रकबा 3.03 बीघा, ख0नं0 807/150 रकबा 0.19 बीघा कुल 5.15 बीघा आराजी वादीगण के पूर्वज बाल्या वल्द शंकर जाति चमार निवासी खेरखेड़ा को 460/– रू0 में बैचान कर कब्जा संभलाया है। वादी देवलाल चमार Pw1 व तुलसाबाई चमार Pw2, गवाह प्रभूलाल चमार Pw3, मथुरालाल चमार Pw4 के बयानों से वादी के वाद की पुष्टि होती है। वहीं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने पर्याप्त अवसर के बाद भी जवाबदावा पेश नहीं किया तथा प्रतिवादीगण व उनके अधिवक्ता के जानबूझकर न्यायालय से अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी है। इससे भी यही प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण को वादीगण के वाद पर कोई आपत्ति नहीं है। केता बालया फौत हो चुका है, उसके वारीसान वादीगण 1 लगा0 8 है, ऐसे में ख0नं0 36 की 6.16 बीघा में से कय की गयी 5.15 बीघा आराजी में वादी नं0 1 का हिस्सा 1/3, वादी नं0 2 लगा0 5 का हिस्सा 1/3 में संभाग, वादी नं0 6 लगा0 8 का हिस्सा 1/3 में संभाग से बनता है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण ने अपने वाद को लिखित एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित कराया है। ऐसे में वादीगण वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

अतः वाद, वादी साबित होने से स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा ग्राम भीलखेड़ा की जमाबंदी सं0 2072–75 की खतौनी सं0 10 की ख0नं0 36 रकबा 6.16 बीघा में से 5.15 बीघा आराजी का वादी नं0 1 को हिस्सा 1/3, वादी नं0 2 लगा0 5 को हिस्सा 1/3 में संभाग, वादी नं0 6 लगा0 8 को हिस्सा 1/3 में संभाग का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
आनपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण 1 लगा0 8 का नाम इस आराजी से खारिज हो। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील, तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
आनपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 25/04/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
आनपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner